सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25-7-19
6-8-19
14-8-19

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्रीमती फूली बनाम राज. सरकार व अन्य आदि

किस्म मुकदमा रेस्टोरेशन प्रा. पत्र मु0न0 37 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
25-7-19	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 06-8-19 को पेश हो। (जसमीत सिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	
14-8-19	वकुला.ए.का. उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यो व्यस्त/ राजकार्य हेतु जयपुर पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ.सा.के समक्ष दिनांक 14/8/19 को पेश हों।	
14-8-19	वकील प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रा॰पत्र में कथन किए कि प्रकरण में वादी के अभिवक्ता 12 बजे लगभग न्यायालय में उपस्थित हुए व उसके बाद 3 बजे न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु पीठासीन अधिकारी न्यायालय कक्ष में विराजे ही नहीं थे तथा सांय 4 बजे न्यायालय में उपस्थित होने पर रीडर द्वारा यह जानकारी दी गई कि मुकदमा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में वादी की खातेदारी भूमियों के संबंध में महत्वपूर्ण विवाद निस्तारित होना है, ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना न्यायोचित है। अत: पत्रावली को पुन: बरामद किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपील सं. 03/2012 निवाल फूली बनाम राज. सरकार दि. 07.07.15 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई थी जिस पर एक रेस्टोरेशन प्रा॰पत्र दि. 05.9.15 प्रस्तुत किया गया जो दि. 23.07.2019 को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय में उपस्थित रहकर अन्य अभिवक्तागण के प्रकरणों पर सुना गया तथा अभिवक्ता प्रार्थी के यह कथन कि पीठासीन अधि. न्यायालय में विराजे ही नहीं, बिल्कुल मिथ्या कथन है। चूंकि प्रकरण में मूल अपील व उस पर प्रस्तुत किया गया रेस्टोरेशन प्रा॰पत्र भी अदम हाजरी व पैरवी मे खारिज किया जा चुका है जो प्रकरण के प्रति सजगता नहीं होना दर्शाता है। ऐसी स्थिति में यह प्रा.पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। यह प्रा॰पत्र मूल अपील के साथ संलग्न रहे। पत्रावली फैसल हुमार होकर नम्बर से कम हो। (जसमीत सिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.07 15:37:55 IST
Reason: SelfAttested